UPMZ010073362026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 3142/2026

1. सचिन पुत्र महीपाल, निवासी ग्राम पाल थाना खतौली, जिला मुजफ्फरनगर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अंतर्गत धारा– 109(1), 352, 351(3), 61(2)क बी.एन.एस.
मु0 अ 0 सं0–74/2026
थाना–खतौली, जिला–मुजफ्फरनगर

दिनांक–22.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्त सचिन की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मु0 अ 0 सं0–74/2026, धारा– 109(1), 352, 351(3), 61(2)क बी.एन.एस. , थाना–खतौली, जिला मुजफ्फरनगर के मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थनापत्र, प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार निखिल तेगवाल के शपथपत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी द्वारा इस आशय की तहरीर थाने पर दी गयी कि दिनांक 16.03.2026 को शाम के समय करीब 4 बजे अरविन्द पर शुभम ने अन्य तीन साथियो के साथ मिलकर गाली–गलौच कर जान से मारने की नीयत से अरविन्द पर तमन्चे से गोली चला दी, गोली अरविन्द के दाहिने हाथ में लगी। अभियुक्त अपने साथियो के साथ जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया।

3. जमानत के आधार के रूप मे अभियुक्त के द्वारा यह बताया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त कतई निर्दोष है प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को वादी मुकदमा द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं किया गया और न ही प्रार्थी/अभियुक्त का घटनास्थल पर होना बताया गया है, केवल दौरान विचारण सहअभियुक्त के बयानों के आधार पर थाना खतौली की पुलिस द्वारा रंजिश प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमे में लिप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ऐसी कोई घटना कारित नहीं की गयी है, जैसा की वादी मुकदमा द्वारा कथन किया गया है। सहअभियुक्त की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व सजायफता नहीं है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद उचित जमानत पर रिहा फरमाये जाने की कृपा करे।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी

के भाई पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया जाता है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5. अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अतः अभियुक्त को जमानत प्रदान की जाये।

6. जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रपत्रो के परिशीलन के विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि वह सहअभियुक्तगण के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर घटनास्थल पर गया जहां घटना के मुख्य अभियुक्त के द्वारा पीड़ित पर तमन्चे से फायर किया गया जो कि पीड़ित के दाहिने हाथ में लगा। केस डायरी के पर्चा संख्या–1 में चुटैल की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट अंकित की गयी है तथा केस डायरी के पर्चा संख्या–14 में उक्त चोटो के सम्बन्ध में सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट का वर्णन अंकित किया गया है। उक्त दोनो रिपोर्टों के परिशीलन से विदित होता है कि चुटैल के दाहिनी हाथ की कोहनी के नीचे साधारण प्रकृति की दो चोटें आना बतायी गयी है, जो कि आग्नेयास्त्र वस्तु के डिस्चार्ज से आना बताया गया है।

8. केस डायरी के पर्चा संख्या–2 में विवेचक ने चश्मदीद साक्षी जितेन्द्र व पर्चा संख्या–3 में चुटैल अरविन्द उर्फ जुग्गु का बयान अंकित किया है। उक्त दोनो साक्षियों के द्वारा अपने बयानों में गोली मुख्य अभियुक्त शुभम द्वारा चलाने का कथन किया है, तथा प्रार्थी/अभियुक्त का कोई विशिष्ट रोल घटना में होना नहीं बताया है। चुटैल के बयानो में यह बात आयी है कि मुख्य अभियुक्त शुभम के अतिरिक्त शेष अभियुक्तगण ने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। अभियुक्त की शिनाख्त चुटैल से करायी गयी हो ऐसा कोई साक्ष्य इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष नहीं आया है।

9. प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से किसी अवैध आग्नेयास्त्र की बरामदगी होना नहीं बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का घटना कारित करने में कोई विशिष्ट रोल इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष नहीं आया है, अभियुक्त का पूर्व कोई अपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। सहअभियुक्त की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का रोल भी उसी

के समान है। अतः मामले के गुणदोष पर बिना कोई टिप्पणी किए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त सचिन की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक अभियुक्त को उसके द्वारा अंकन 70,000/– रूपये (सत्तर हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के एक विश्वनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्न शर्तो पर रिहा किया जाता है

1– प्रार्थी/अभियुक्त गवाहो को डराने/धमकाने अथवा प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने व्यक्तिगत बंध पत्र पर तथा जमानतनामें के द्वारा बंध पत्र पर अपना आधार नम्बर तथा चालू मोबाईल नम्बर अंकित किया जायेगा।

4– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के द्वारा नियत की गई प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

प्रभारी/ अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–06, मुजफ्फरनगर।